

15-12-25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट्स एवं अपीलांट्स स्वयं हाजिर। अपीलांट्स स्वयं ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंटगण के बीच राजीनामा हो गया है। उपरोक्त अनवानी अपील में अपीलांट आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है तथा अपनी अपील विद्धो करना चाहते है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा द्वारा अपीलांट की पहचान की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स ने अपनी अपील विद्धो करने तथा अपील आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट्स स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट्स विद्धो की जाने की अनुमति दी जाती है एवं अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.04.2025 द्वारा जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लोटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।



अतिरिक्त न्यायालय कलक्टर  
सुरतगढ़ (श्री कंसकर)  
सुरतगढ़

श्री शिशपाल शर्मा

4/12/25